COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

240

-1-

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2015

निगरानी 1425-I-15

असद खान जीलानी
आयु लगभग 45 वर्ष
आत्मज श्री गुलाम अहमद जीलानी
निवासी - ग्राम छिरारी (मजरा खुदारामपुर)
तहसील लटेरी जिला विदिशा .....आवेदक

विरूद्ध

सै. मेहमूद खाँ, आयु लगभग 50 वर्ष
आत्मज सै. मोहम्मद खाँ
निवासी - 155, सुल्तानिया रोड
चार बत्ती चौराहा, गौर हॉस्पिटल के सामने
बुधवारा, भोपाल .....अनावेदक

(170)

श्री अतुल धारीवाल अधि० द्वारा प्रस्तुत 16/4/15 को प्रस्तुत

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 26.3.2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग लटेरी, जिला विदिशा अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 11/अपील/12-13 पक्षकारगण असद खान विरूद्ध सै.मेहमूद खाँ व अन्य

16/4/15
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

आवेदक की ओर से निवेदन है कि:-

यह कि प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक ग्राम छिरारा मजरा खुदारामपुर तहसील लटेरी जिला विदिशा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 508/1/2/5 क्षेत्रफल 1.619 हेक्टर का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी है। यह भूमि आवेदक को अनावेदक द्वारा अपना चचाजात भाई होने के कारण दिनांक 30.12.2006 को मौखिक हिबा द्वारा प्रदान की गई थी। आवेदक एवं अनावेदक मुस्लिम समुदाय के सदस्य हैं इस कारण दोनों मुस्लिम विधि के अनुपालक हैं। इस कारण मुस्लिम विधि के तहत सम्पत्ति को मौखिक रूप से हिबा किया जा सकता है। इस संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 127 के तहत हिबा के लेखांकित होने एवं रजिस्टर्ड होने से छूट प्रदान की गई है।

6.6.15

यह कि अनावेदक द्वारा उक्त दिनांक को आवेदक के पक्ष में मौखिक हिबा करते हुए आवेदक को उक्त भूमि का आधिपत्य सौंपा था एवं आवेदक ने ऐसा हिबा एवं आधिपत्य तत्समय स्वीकार किया था। इसी आधार पर वह उक्त भूमि का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। चूँकि दोनों आपस में रिश्तेदार हैं इस कारण आवेदक ने तत्समय अपना नामांतरण राजस्व अभिलेखों में स्वीकृत [illegible] दिनांक 20.3.2010 को ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया तब

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– निग0 1425-I/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–2–17	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं । आवेदक एवं उसके अधिवक्ताक को समय–समय पर आवाज लगवाई गई परंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है । अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थित के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है । सदस्य	